1/1 section

उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल)

Uttarakhand Purv Sainik Kalyan Nigam (UPNL)

Andaman Road, Garhi Cantt, Dehradun - 248003 Telfax : 0135-2754041
Website - www.upnl.co.in, E-mail : upnl.ua@rediffmail.com, info@upnl.co.in, rpo@upnl.co.in

:7001 / ई0एस0आई0 / 2019 — 20 जून 2019

कर्मचारी राज्य बीमा (ई0एस0आई0) अनुभाग

01 जुलाई 2019 से कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान की संशोधित / कम की दरों के सम्बन्ध में अधिसूचना ।

2 आपको सूचित किया जाता है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,नई दिल्ली ने 01 जुलाई 2019 से कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान में संशोधन / कम दरों के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की है (अधिसूचना संख्या फा0सं0एस–38012 / 01 / 2016 एस एस–I दिनांक 13 जून 2019 की कापी आपकी सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस पत्र के साथ संलग्न है।

2 अतः 01 जुलाई 2019 से कर्मचारी एवं मुख्य नियोक्ता से टोटल अंशदान मानदेय का 6.5% के स्थान पर 4% की दर से कटौती की जाय। कर्मचारी एवं मुख्य नियोक्ता से अलग–अलग दरें नीचे अनुसार दर्शायी गयी हैं:–

ई0एस0आई0 अंशदान	वर्तमान दर (%)	संशोधित/नई दर (%)
मुख्य नियोक्ता का शेयर (Employer's Share)	4.75	**3.25**
कर्मचारी का शेयर (Employee's Share)	1.75	**0.75***
टोटल ई0एस0आई0 अंशदान	6.50	**4.00**

*ध्यान रहे यदि कर्मचारी का अंशदान कुछ रूपये और पैसे आता है तो अंशदान भुगतान अगले पुरे रूपये का (rounded to next higher rupee) होगा।

कर्नल आई0पी0एस0 राना (अ0प्रा0)
डी0जी0एम0

संलग्नक:– उपरोक्तानुसार

स्थापना,बीजक,वेतन,आई0टी0,अनुबन्ध,लेखा एवं ई0पी0एफ0 अनुभाग,आर0पी0ओ0देहरादून एवं हल्दवानी(उपनल)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 356] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 13, 2019/ज्येष्ठ 23, 1941
No. 356] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 13, 2019/JYAISTHA 23, 1941

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2019

सा.का.नि 423 (अ).—जबकि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (केन्द्रीय) नियम-1950 में आगे संशोधन करने हेतु कतिपय नियमों का मसौदा सं. सा.का.नि. 121(ई) दिनांक 15 फरवरी, 2019 के माध्यम से भारत का राजपत्र, (असाधारण) भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया जैसा कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित है, जिससे शासकीय राजपत्र की प्रतियों जिसमें उक्त अधिसूचना है का प्रकाशन जनता के लिए उपलब्ध कराए जाने की तिथि से तीस दिनों की समापन अवधि से पूर्व सभी व्यक्तियों जो कि इससे प्रभावित हो सकते हैं से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे ;

और जबकि उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता के लिए 15 फरवरी, 2019 को उपलब्ध करा दी गईं ;

और जबकि उपर्युक्त नियत अवधि के भीतर उक्त मसौदा नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया गया ;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 95 में प्रदत्त शक्तियों से परामर्श के पश्चात् कर्मचारी राज्य बीमा निगम (केन्द्रीय) नियम, 1950 में आगे संशोधन हेतू एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत: :—

1. (1) इन नियमों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (केन्द्रीय) संशोधित नियम, 2019 कहा जाएगा ;
   (2) ये नियम 1 जुलाई 2019 से लागू होंगे।

2. कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम 1950 में नियम 51 में :-

   (क) खंड (क) में शब्द "मजदूरी का चार और तीन चौथाई प्रतिशत के समान" शब्द "मजदूरी का तीन और एक चौथाई प्रतिशत के समान" से प्रतिस्थापित होगा ;

(ख) खंड (ख) में "मजदूरी का एक और तीन चौथाई प्रतिशत के समान" शब्द "मजदूरी का तीन चौथाई प्रतिशत के समान" से प्रतिस्थापित होगा।

[फा.सं. एस-38012/01/2016-एसएस-I]

विभा भल्ला, संयुक्त सचिव

नोट :- मूल नियम सं. एसआरओ 212, दिनांक 22 जून, 1950 के माध्यम से भारत का राजपत्र भाग II खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुए थे और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 605(अ) दिनांक 03 जुलाई, 2018 द्वारा अंतिम बार संशोधित हुए थे।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2019

G.S.R. 423 (E).—Whereas a draft containing certain rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 121(E), dated the 15th February, 2019, as required by sub-section (1) of the section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification was published were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 15th February, 2019;

And whereas, objections or suggestions received from the public in respect of the said draft rules within the period specified above have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 95 of the said Act, the Central Government, after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby makes the following rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, namely:-

1. (1) These rules may be called the Employee's State Insurance (Central) Amendment Rules, 2019;

   (2) They shall come into force on the 1st day of July, 2019.

2. In the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, in rule 51, –

(a) in clause (a), for the words "equal to four and three-fourth per cent of the wages", the words "equal to three and one-fourth per cent. of the wages" shall be substituted;

(b) in clause (b), for the words "equal to one and three-fourth per cent of the wages", the words "equal to three-fourth per cent. of the wages" shall be substituted.

[F. No. S-38012/01/2016-SS-I)

VIBHA BHALLA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide number S.R.O. 212, dated the 22nd June, 1950, and last amended by notification number G.S.R. 605 (E), dated 3rd July, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.